KHAN GLOBAL STUDIES
KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6
Mob : 8877918018, 875735880

Polity BPSC –2023 By : Karan Sir

भारत का उपराष्ट्रपति
(The Vice President of India)

उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक में उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान दिये गए हैं। भारत का उपराष्ट्रपति वस्तुत: उन विरल परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कर्त्तव्य निभाने के लिये चुना जाता है, जब किसी कारण से राष्ट्रपति अपने पद का निर्वाह करने में सक्षम न हो । उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
(Election of the Vice & President)

राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति भी जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। अनुच्छेद 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा।

- उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा और इस निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। इस प्रावधान से स्पष्ट है कि 'एकल संक्रमणीय मत' तथा 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' की दृष्टि से उपराष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के समान ही है। इसके बाद भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि में दो महत्त्वपूर्ण अंतर हैं जो इस प्रकार हैं–
- उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य।
- जहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों तथा दिल्ली व पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं।
- राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति के संबंध में भी यही उपबंध है कि वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि वह इनमें से किसी भी सदन का सदस्य होते हुए उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होता है तो यही समझा जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तारीख से उसने पूर्व के सदन की सदस्यता छोड़ दी है।
- राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति बनने के लिये भी शर्त है कि उम्मीदवार भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो। इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिये लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल या केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार का मंत्री है।

उपराष्ट्रपति के लिये अर्हताएँ
(Eligibilities for the Vice & President)

कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिये तभी अर्हत होगा, जब वह निम्नलिखित तीन शर्तें पूरी करेगा–

1. वह भारत का नागरिक हो ।
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ।
3. वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हताओं को पूरी करता हो।

- गौरतलब है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों की अर्हताओं में एक ही अंतर है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिये लोकसभा सदस्य बनने की अर्हताओं को पूरा करना जरूरी है जबकि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिये जरूरी है कि वह राज्यसभा सदस्य होने की अर्हता रखता हो ।

उपराष्ट्रपति की शपथ
(Oath of the Vice & President)

पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा तथा अपने कर्त्तव्य का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करने की शपथ लेता है।

उपराष्ट्रपति की पदावधि तथा हटाए जाने की प्रक्रिया
(The Term of Office of the Vice&President and the Removal Procedure)

उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद-ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होती है और वह दो आधारों पर इस अवधि के पहले अपने पद से मुक्त हो सकता है।

1. वह राष्ट्रपति को संबोधित अपना हस्ताक्षरयुक्त त्यागपत्र दे दे।
2. उसे पद से हटा दिया जाए।

- उपराष्ट्रपति को हटाने के लिये औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। (अर्थात् सदन के कुल सदस्यों का 50% + 1) साथ ही निम्नलिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से -कम-से-कम 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना देना जरूरी है कि उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित संकल्प प्रस्तुत किया जाने वाला है।
- ऐसा संकल्प राज्यसभा में ही रखा जा सकता है। उसका आधार कोई भी ऐसा कारण हो सकता है, जिसे राज्यसभा उचित समझती है।
- उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के संकल्प को राज्यसभा की तत्कालीन समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाना जरूरी है।
- राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित किये जाने के बाद यह भी जरूरी है कि लोकसभा उस प्रस्ताव का समर्थन करे, लोकसभा में इसके लिये साधारण बहुमत ही पर्याप्त है।

उपराष्ट्रपति के कार्य

(Functions of the Vice President)

- अनुच्छेद 64 और 65 में उपराष्ट्रपतियों के कार्यों का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति के निम्नलिखित कार्य हैं-
- वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियाँ व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की ही भाँति होते हैं लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। वह सदन में वोटिंग के दौरान मत तो नहीं देता मगर अध्यक्ष की हैसियत से निर्णायक मत देने का अधिकारी है।
- जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, महाभियोग, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम छह महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना आवश्यक है। इसके अलावा वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से वह अपने दायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पुनः कार्य पर लौटने तक उनके कर्त्तव्यों का निर्वाह करता है।
- कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता, इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उप-सभापति द्वारा किया जाता है।

चुनाव विवाद

(Election Disputes)

- उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जाँच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किये जाते हैं जिसका निर्णय अंतिम होता [अनुच्छेद 71]। उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य पूर्ण नहीं हैं।
- यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किये गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, वे प्रभावशाली रहेंगे।

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल
1.	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	1952-1957
2.	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	1957-1962
3.	डॉ. ज़ाकिर हुसैन	1962-1967
4.	श्री वराहगिरि वेंकट गिरि	1967-1969
5.	श्री गोपाल स्वरूप पाठक	1969-1974
6.	श्री बी.डी.जत्ती	1974-1979
7.	न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला	1979-1984
8.	श्री आर. वेंकटरमन	1984-1987
9.	डॉ. शंकरदयाल शर्मा	1987-1992
10.	श्री के. आर. नारायणन	1992-1997
11.	श्री कृष्णकांत	1997-2002
12.	श्री भैरोंसिंह शेखावत	2002-2007
13.	मोहम्मद हामिद अंसारी	2007-2012
14.	मोहम्मद हामिद अंसारी	2012-2017
15.	श्री वेंकैया नायडू	2017-2022
16.	जगदीप धनकड़	2022 से वर्तमान में पदस्थ

- उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्यरत हो तो राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं संभालेगा।
- उस समय राज्यसभा के सभापति का कार्यभार उप-सभापति संभाल रहा होगा।
- वह कौन-से उपराष्ट्रपति थे, जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई थीं- कृष्णकान्त
- वे कौन-कौन से उपराष्ट्रपति थे जो उसके उच्चायुक्त रहे थे?- डॉ० सर्वपल्लीराधाकृष्णन् तथा वी०वी० गिरि
- वह उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति भी रहे?- 5 (डॉ० जाकिर हुसैन, वी०वी० गिरि, आर० वेकंटरमण, डॉ० शंकर दयाल शर्मा, के० आर० नारायणन)

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं-
(a) संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य
(b) संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य
(c) राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य
(d) राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. राष्ट्रपति की तरह, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है।
2. राज्यों की विधायकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
कूट :
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

3. राज्यसभा का सभापति कौन है?
(a) राष्ट्रपति (b) उपराष्ट्रपति
(c) प्रधानमंत्री
(d) लोकसभा के अध्यक्ष

4. कौन-सा कथन असत्य है?
(a) राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम-से-कम 35 वर्ष की होनी चाहिए।
(b) उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सभापति बनता है
(c) उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है
(d) भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे

5. भारत का उपराष्ट्रपति-
1. भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है।
2. के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य (दायित्व) नहीं है।
3. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है।
4. राष्ट्रपति क पद-त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपत के रूप में कार्य करता है।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-
कूट :
(a) 1 तथा 2 (b) 1, 2 तथा 3
(c) 1, 3 तथा 4 (d) सभी चारों

6. उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है?
(a) राज्यपरिषद के (b) लोकसभा के
(c) कैबिनेट के (d) मंत्रिपरिषद् के

7. नीचे चार युग्म दए गए हैं जनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे-
(a) डॉ.एस. राधाकृष्णन और जी.एस. पाठक
(b) डॉ.एस. राधाकृष्णन और वी.वी. गिर
(c) डॉ. जाकिर हुसैन और के.आर. नारायणन
(d) बी.डी जत्ती और के.आर. नारायणन

8. निम्नलिखित में से किस-किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है?
1. मोहम्मद हिदायतुल्लाह
2. फखरुद्दीन अली अहमद
3. नीलम संजीव रेड्डी
4. शंकर दयाल शर्मा

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
(a) 1, 2, 3 और 4 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 3 और 4

9. निम्नलिखत में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं?
1. वित्त आयोग के अध्यक्ष
2. योजना आयोग के उपाध्यक्ष
3. संघ राज्यक्षेत्र का मुख्यमंत्री

नीचे दए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3

10. निम्न में से किस राष्ट्रपत ने एक शक्ति प्रयोग किया था जसे संविधानिक शब्दावली में 'जेबी निषेधाधिकार' कहा जाता है?
(a) डॉ. राजेंद्र प्रसाद (b) वी.वी. गिरि
(c) ज्ञानी जैल सिंह (d) डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं

11. एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन-सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है?
(a) जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है।
(b) जब राष्ट्रपति अपनी सहमत दे देता है।
(c) जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है।
(d) जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है।

12. भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है?
(a) राष्ट्रपति
(b) उपराष्ट्रपति
(c) प्रधानमंत्री
(d) लोकसभा का अध्यक्ष

13. यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है, तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा-
(a) भारत का प्रधानमंत्री
(b) सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(c) सशस्त्र बलों का सर्वोच्च अधिकारी
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

14. यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा?
(a) राज्यसभा का सभापति
(b) भारत का महान्यायवादी
(c) लोकसभा का अध्यक्ष
(d) सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

15. संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है?
(a) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
(b) भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा
(c) लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा
(d) संसद के दोनों सदनों द्वारा

16. राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए-
(a) 90 दिनों में (b) छः माह में
(c) नौ माह में (d) एक वर्ष में

❑❑❑

KHAN GLOBAL STUDIES
Kisan Cold Storage Campus, Musallahpur, Patna-6
KHAN SIR